International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 5, September-October, 2026

राजस्थान में साइबर अपराध नियंत्रण: पुलिस प्रशासन की भूमिका एवं प्रभावशीलता

पंकज कुमार भटनागर[1], डॉ. रविन्द्र सिंह राठौर[2]

[1]शोधार्थी अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लाडनूं, राजस्थान
[2]शोध निर्देशक अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लाडनूं, राजस्थान

DOI: https://doi.org/10.55948/IJERED.2026.0951

सार

साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती ने पुलिस प्रशासन के सामने नए और जटिल प्रश्न खड़े किए हैं। राजस्थान में साइबर अपराध नियंत्रण में पुलिस प्रशासन की भूमिका और उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन प्रस्तुत शोध का केंद्र है। शोध में राज्य साइबर सेल, जिला साइबर थानों और पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन किया गया। निष्कर्षों से पता चला कि संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण का अभाव, कम रिपोर्टिंग दर और जटिल न्यायिक प्रक्रिया पुलिस की प्रभावशीलता को सीमित करती है। हालाँकि, 1930 साइबर हेल्पलाइन और अंतर-राज्यीय अभियानों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। तकनीकी उन्नयन, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी से साइबर अपराध नियंत्रण को और अधिक मजबूत किया जा सकता है।

मुख्य शब्द: साइबर अपराध नियंत्रण, राजस्थान पुलिस, साइबर सेल, पुलिस प्रशासन, डिजिटल फोरेंसिक, आईटी अधिनियम, सार्वजनिक-निजी भागीदारी

प्रस्तावना

जब एक बुजुर्ग किसान अपनी जीवनभर की बचत को एक फर्जी फोन कॉल के बाद गँवा देता है , जब एक युवती को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किया जाता है, जब एक व्यापारी का बैंक खाता रातोंरात खाली हो जाता है — तो यह केवल पीड़ितों की पीड़ा नहीं होती, यह पुलिस प्रशासन की परीक्षा भी होती है। यह सवाल उठता है : क्या हमारी पुलिस इस नई चुनौती के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है?

साइबर अपराध आज पारंपरिक अपराध की तरह सड़क पर नहीं घटता। यह स्क्रीन के पीछे , सर्वरों की भूलभुलैया में, देश-विदेश की सीमाओं के पार होता है। इसे पकड़ने के लिए पुलिस को न केवल कानून का ज्ञान चाहिए , बल्कि अत्याधुनिक तकनीकी दक्षता, डिजिटल फोरेंसिक की समझ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्षमता भी जरूरी है।

राजस्थान में साइबर अपराध के मामले प्रतिवर्ष तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। NCRB के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान साइबर अपराध के शीर्ष राज्यों में शामिल है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की भूमिका और उसकी प्रभावशीलता का गंभीर और निष्पक्ष मूल्यांकन समय की माँग है — न इसलिए कि पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाए , बल्कि इसलिए कि उसे बेहतर बनाने का रास्ता खोजा जाए। प्रस्तुत शोध आलेख इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का एक ईमानदार प्रयास है।

साहित्य समीक्षा

भारत में साइबर अपराध नियंत्रण में पुलिस की भूमिका पर पर्याप्त किंतु असमान शोध हुआ है। महानगरीय पुलिस पर अध्ययन अधिक हैं, जबकि राजस्थान जैसे बड़े लेकिन कम शहरीकृत राज्य पर शोध कम है।

पाटील और कुमार (2019) ने महाराष्ट्र के संदर्भ में बताया कि साइबर पुलिस की प्रभावशीलता मुख्यतः तकनीकी प्रशिक्षण और उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। प्रशिक्षित कर्मियों वाली साइबर यूनिटों में मामलों के समाधान की दर 40% अधिक पाई गई।
मिश्रा (2020) ने अपने शोध में पाया कि भारत में साइबर अपराध की जाँच में डिजिटल साक्ष्य संग्रह सबसे बड़ी चुनौती है। न्यायालय में स्वीकार्य डिजिटल साक्ष्य तैयार करना एक विशिष्ट कौशल है जो अधिकांश पुलिस थानों में उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान के संदर्भ में, चौधरी और भट्ट (2021) ने राजस्थान साइबर सेल की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हुए बताया कि राज्य में साइबर जाँच की क्षमता बढ़ रही है, लेकिन जिला स्तर पर संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा है।

सिन्हा (2022) ने अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधों में समन्वय की कमी को एक प्रमुख बाधा बताया। कपूर और मेहरोत्रा (2023) ने पाया कि पुलिस पर भरोसे और साइबर अपराध रिपोर्टिंग दर के बीच सीधा संबंध है।

शोध उद्देश्य
प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
• राजस्थान में साइबर अपराध नियंत्रण की वर्तमान संस्थागत व्यवस्था का मूल्यांकन करना।
• पुलिस प्रशासन की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना।
• साइबर जाँच में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का विश्लेषण करना।
• पुलिस अधिकारियों के अनुभवों और दृष्टिकोणों को दर्ज करना।
• प्रभावी साइबर अपराध नियंत्रण के लिए नीतिगत एवं प्रशासनिक सुझाव देना।

शोध पद्धति
यह शोध गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) दोनों पद्धतियों पर आधारित है।

1 प्राथमिक आँकड़े
राजस्थान के 6 जिलों (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और नागौर) के 50 पुलिस अधिकारियों (DSP से आरक्षक तक), 5 साइबर न्यायाधीशों और 20 साइबर विशेषज्ञों से गहन साक्षात्कार किए गए। इसके अतिरिक्त 100 साइबर अपराध पीड़ितों से उनके पुलिस अनुभव के संबंध में भी जानकारी ली गई।

2 द्वितीयक आँकड़े
NCRB रिपोर्ट, राजस्थान साइबर सेल के आँकड़े, न्यायालय के निर्णय, विधान सभा के प्रश्नोत्तर और मंत्रालयी दस्तावेजों का उपयोग किया गया।

3 शोध नैतिकता
सभी साक्षात्कारकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी गई है। साक्षात्कार से पूर्व सूचित सहमति (Informed Consent) प्राप्त की गई।

राजस्थान में साइबर अपराध नियंत्रण की वर्तमान संरचना
1 राज्य साइबर सेल, जयपुर
राजस्थान में जयपुर स्थित राज्य साइबर सेल साइबर अपराधों की जाँच का केंद्रीय अभिकरण है। इसमें प्रशिक्षित डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ, साइबर अन्वेषक और तकनीकी विश्लेषक कार्यरत हैं। यह सेल जटिल और बहु-जिला मामलों की जाँच करती है।

2 जिला साइबर थाने
राज्य के प्रमुख जिलों में जिला साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। ये थाने स्थानीय स्तर पर साइबर FIR दर्ज करते हैं और प्रारंभिक जाँच करते हैं। हालाँकि, सभी जिलों में समान क्षमता नहीं है।

3 साइबर हेल्पलाइन 1930
भारत सरकार की 1930 साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से राजस्थान पुलिस तत्काल वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में हस्तक्षेप करती है। यह योजना वित्तीय लेन-देन को फ्रीज कर पीड़ितों की राशि वापस दिलाने में सहायक है।

4 साइबर जागरूकता अभियान
राजस्थान पुलिस ने "साइबर सुरक्षा सप्ताह ", "डिजिटल जागरूकता यात्रा " और स्कूल-कॉलेज स्तर पर साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों ने जागरूकता बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है।

पुलिस प्रशासन की प्रभावशीलता: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

1 सकारात्मक उपलब्धियाँ
राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध नियंत्रण में कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं:
• 1930 हेल्पलाइन के माध्यम से 2023 में राजस्थान में 312 करोड़ रुपये की संभावित धोखाधड़ी रोकी गई।
• जयपुर साइबर सेल ने 2022-23 में गिरफ्तार मामलों में 89% अभियोजन दर हासिल की।
• अंतर-राज्यीय गिरोहों (जैसे मेवात साइबर गैंग) के खिलाफ सफल अभियान चलाए गए, जिसमें 200 से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए गए।
• डिजिटल फोरेंसिक लैब की स्थापना से जाँच की गुणवत्ता में सुधार आया है।
• साइबर जागरूकता अभियानों ने लाखों लोगों तक संदेश पहुँचाया।

2 चुनौतियाँ और कमजोरियाँ
इन उपलब्धियों के बावजूद, कई गंभीर चुनौतियाँ हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता:

संसाधनों की कमी
जिला स्तर पर प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञों की भारी कमी है। अनेक छोटे जिलों में एक भी पूर्णकालिक प्रशिक्षित साइबर ऑफिसर नहीं है। आधुनिक डिजिटल फोरेंसिक उपकरण केवल बड़े शहरों में उपलब्ध हैं।

तकनीकी पिछड़ापन
डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और VPN के माध्यम से किए गए अपराधों की जाँच में पुलिस को गंभीर तकनीकी चुनौतियाँ आती हैं। साइबर अपराध की गति के साथ पुलिस की तकनीकी क्षमता तालमेल नहीं बिठा पा रही।

कम रिपोर्टिंग दर
अनुमान है कि राजस्थान में केवल 15-20% साइबर अपराध ही दर्ज होते हैं। पीड़ित शर्म, जटिल प्रक्रिया, पुलिस पर अविश्वास और न्याय मिलने की कम संभावना के कारण रिपोर्ट नहीं करते। महिला पीड़ितों में यह दर और भी कम है।

न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति
साइबर मामलों में दोषसिद्धि दर मात्र 24% है, जो अपराधियों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित करती है। डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता को लेकर न्यायालयों में अभी भी अनेक प्रश्न हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का अभाव
विदेशी सर्वरों और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़े मामलों में जाँच लंबी और जटिल हो जाती है। Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) की प्रक्रिया धीमी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुभव
शोध के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ किए गए गहन साक्षात्कार बहुत प्रकाशमान रहे। उनके अनुभव इस समस्या के मानवीय पक्ष को उजागर करते हैं:

"हम हर दिन नए-नए तरीकों से ठगी के मामले देखते हैं। जैसे ही हम एक तरीके को पकड़ते हैं, अपराधी नया तरीका ईजाद कर लेते हैं। हमें भी उतनी ही तेजी से अपडेट रहना होगा।" — एक वरिष्ठ साइबर अधिकारी, जयपुर

"हमें साइबर अपराध की FIR लिखना तो पता है, लेकिन जाँच कैसे करें, यह प्रशिक्षण हमें कभी नहीं मिला। हम जनता को क्या बताएँ?" — एक ग्रामीण थाने के आरक्षक

"महिला पीड़ित तब तक रिपोर्ट नहीं करतीं जब तक मामला बहुत गंभीर न हो जाए। सामाजिक कलंक का डर उन्हें चुप रखता है। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।" — एक महिला साइबर पुलिस अधिकारी

"1930 हेल्पलाइन ने सच में बहुत फर्क किया है। पहले पीड़ित थाने में आते थे और हफ्तों बाद FIR होती थी। अब कुछ मिनटों में खाता फ्रीज हो जाता है।" — एक DSP, साइबर अपराध

ये आवाजें बताती हैं कि चुनौतियाँ वास्तविक हैं, लेकिन हमारे पुलिस कर्मियों में समर्पण और सुधार की इच्छाशक्ति भी है।

आँकड़ों का विश्लेषण
1 राजस्थान में साइबर अपराध: 2019-2023
• 2019: 5,497 मामले
• 2020: 6,893 मामले (25.4% वृद्धि)

• 2021: 8,340 मामले (21.0% वृद्धि)
• 2022: 10,281 मामले (23.3% वृद्धि)
• 2023: 12,904 मामले (25.5% वृद्धि)
पाँच वर्षों में राजस्थान में साइबर अपराध में 134.7% की वृद्धि हुई — यह एक अत्यंत चिंताजनक प्रवृत्ति है।

2 पुलिस प्रभावशीलता के संकेतक
• गिरफ्तारी दर: 2023 में दर्ज मामलों में से 34.2% में आरोपी गिरफ्तार हुए।
• दोषसिद्धि दर: मात्र 24% — न्यायिक प्रक्रिया की कमजोरी को दर्शाता है।
• धन वसूली दर: 1930 हेल्पलाइन के माध्यम से 2023 में 312 करोड़ रुपये बचाए गए।
• पीड़ित संतुष्टि: 58% पीड़ितों ने पुलिस प्रतिक्रिया को "संतोषजनक" नहीं माना।

3 जिलेवार विषमता
जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े जिलों में साइबर जाँच की क्षमता बेहतर है , जबकि नागौर, झालावाड़, करौली जैसे जिलों में संसाधनों की कमी स्पष्ट है। यह विषमता साइबर अपराध नियंत्रण में असमानता उत्पन्न करती है।

प्रमुख निष्कर्ष
• राजस्थान में साइबर अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और यह तेजी से बढ़ रही है।
• 1930 हेल्पलाइन और राज्य साइबर सेल ने उल्लेखनीय कार्य किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।
• जिला स्तर पर साइबर जाँच क्षमता अत्यंत असमान है — शहरी-ग्रामीण विभाजन स्पष्ट है।
• कम रिपोर्टिंग दर (अनुमानतः 15-20%) वास्तविक समस्या की गंभीरता को छिपाती है।
• डिजिटल साक्ष्य कानून और न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
• पुलिस-जनता विश्वास की कमी साइबर अपराध रिपोर्टिंग में बाधक है।

सुझाव
1 विशेषज्ञ भर्ती एवं प्रशिक्षण
सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में डिग्री -धारक युवाओं की पुलिस बल में सीधी भर्ती की जाए। साथ ही सेवारत कर्मियों के लिए डिजिटल फोरेंसिक, साइबर जाँच और साक्ष्य संग्रह में नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए।

2 FIR प्रक्रिया का सरलीकरण
ऑनलाइन FIR और शिकायत पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता -अनुकूल बनाया जाए। स्थानीय भाषाओं में पोर्टल उपलब्ध कराए जाएँ। पीड़ित को प्रारंभिक रिपोर्ट देने के लिए थाने नहीं जाना पड़े।

3 त्वरित न्यायालय
साइबर अपराध मामलों के लिए फास्ट -ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए। डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता पर स्पष्ट न्यायिक दिशानिर्देश जारी किए जाएँ।

4 सार्वजनिक-निजी भागीदारी
बैंक, टेलीकॉम कंपनियाँ और तकनीकी फर्में पुलिस के साथ मिलकर रियल -टाइम डेटा साझाकरण करें। साइबर धोखाधड़ी की सूचना तत्काल पुलिस को मिले।

5 केंद्रीय साइबर डेटाबेस
साइबर अपराधियों का राष्ट्रीय केंद्रीय डेटाबेस बनाया जाए जिसे सभी राज्य एक्सेस कर सकें। इससे पुनरावर्ती अपराधियों की पहचान तत्काल हो सकेगी।

6 महिला पीड़ितों के लिए विशेष व्यवस्था
प्रत्येक जिले में महिला साइबर सेल की स्थापना हो। महिला पीड़ितों को ऑनलाइन शिकायत की सुविधा और निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए।

उपसंहार
साइबर अपराध एक आधुनिक महामारी है जो दिखती नहीं , पर कहर बरपाती है। राजस्थान पुलिस इस लड़ाई में अकेली नहीं है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

पुलिस प्रशासन की प्रभावशीलता तब बढ़ेगी जब उसे पर्याप्त संसाधन , आधुनिक प्रशिक्षण, सरल कानूनी प्रक्रिया और समाज का सक्रिय सहयोग मिलेगा। एक समर्पित साइबर पुलिसकर्मी तब और अधिक प्रभावशाली बनेगा जब उसके हाथ में सही हथियार होंगे — और वे हथियार हैं: आधुनिक तकनीक, विशेष प्रशिक्षण और जनता का विश्वास।

यह भी सच है कि पुलिस के साथ -साथ सरकार, समाज, तकनीकी संस्थान और प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एक जागरूक पीड़ित जो तत्काल 1930 पर कॉल करे , एक सक्रिय बैंक जो संदिग्ध लेन -देन फ्लैग करे , एक मजबूत न्यायालय जो शीघ्र निर्णय दे — इन सबके संयोजन से ही राजस्थान को एक सुरक्षित डिजिटल राज्य बनाया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध की यही अपेक्षा है कि उसके निष्कर्ष और सुझाव नीति -निर्माताओं और पुलिस नेतृत्व के लिए एक उपयोगी संदर्भ बिंदु बनें।

संदर्भ सूची

1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB). (2019-2023). वार्षिक अपराध रिपोर्ट. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
2. पाटील, सुरेश और कुमार, विनोद. (2019). भारत में साइबर पुलिस की प्रभावशीलता. अपराधशास्त्र समीक्षा, 8(3), 67-85।
3. मिश्रा, अवनीश. (2020). डिजिटल साक्ष्य और साइबर जाँच: चुनौतियाँ एवं समाधान. विधि अनुसंधान पत्रिका, 14(2), 89-107।
4. चौधरी, गोपाल और भट्ट , रेखा. (2021). राजस्थान साइबर सेल : कार्यप्रणाली एवं मूल्यांकन . राजस्थान लोक प्रशासन शोध , 6(1), 23-40।
5. सिन्हा, अशोक. (2022). अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और भारतीय पुलिस की सीमाएँ. सुरक्षा अध्ययन, 11(4), 134-151।
6. कपूर, नीलम और मेहरोत्रा, राजेश. (2023). पुलिस-सार्वजनिक संबंध और साइबर रिपोर्टिंग. समाज और सुरक्षा, 5(2), 45-62।
7. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संशोधन 2008). भारत सरकार।
8. भारतीय दंड संहिता, 1860 — धाराएँ 420, 468, 471 (साइबर अपराध प्रासंगिक)।
9. राजस्थान साइबर सेल. (2022-23). वार्षिक प्रतिवेदन. राजस्थान पुलिस।
10. गृह मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति. नई दिल्ली।
11. इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In). (2023). साइबर सुरक्षा रिपोर्ट . इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।